



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 14 सितम्बर, 2024 ई० (भाद्रपद 23, 1946 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, खण्ड-क-नगरपालिका परिषद्, खण्ड-ख-नगर पंचायत,
खण्ड-ग-निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ-जिला पंचायत।

खण्ड-घ

जिला पंचायत, मऊ
ईट भट्ठा संशोधित उपविधि -
02 सितम्बर, 2024 ई०

सं० 446/जि०पं०/2024-25-उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम-1961 (यथासंशोधित) की धारा 239 (2) की के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत मऊ द्वारा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित ईट भट्ठा चिमनी को विनियमित एवं नियंत्रित करने के उद्देश्य से पूर्व में बनायी गयी उपविधि जो विज्ञप्ति सं०-667/23-33 (99-2002) द्वारा उ०प्र० राजकीय गजट में दिनांक 4 मई, 2002 को प्रकाशित है, में अंकित लाइसेंस शुल्क की दरों में निम्नवत् संशोधन प्रस्तावित है। यह संशोधन आयुक्त, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़ के पुष्टि के उपरान्त उ०प्र० राजकीय गजट में प्रकाशन होने के तिथि से प्रभावी होगा।

ईट भट्ठा चिमनी

वर्तमान		प्रस्तावित	
(अ)	ईट भट्ठा चिमनी मु०-रु० 5000.00 वार्षिक	चिमनी ईट भट्ठा (20 पाया तक) रु० 13225.00 वार्षिक	
		चिमनी ईट भट्ठा (20 पाया से अधिक) रु० 19838.00 वार्षिक	
1	2	3	4
		वर्तमान	प्रस्तावित
अ	1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक ईट भट्ठा का लाइसेंस बनवाने अथवा नवनीकरण न कराने पर विलम्ब	मु० रु० 50.00 प्रतिमाह	मु०-रु० 250.00 प्रतिमाह
ब	1 मार्च तक लाइसेंस न लेने की दशा में विलम्ब शुल्क	मु० रु० 700.00 प्रतिमाह	मु०-रु० 3000.00 प्रतिमाह

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत-मऊ

दण्ड

उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम-1961 की धारा के अधीन प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, मऊ यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधि का उल्लंघन करेगा, वह अर्धदण्ड से दण्डनीय होगा, जो रु0 1000.00 तक होगा और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्धदण्ड से दण्डित होगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि उसमें अपराधी अपराध करता रहा है मु0-50.00 रुपये प्रतिदिन तक अर्धदण्ड हो सकेगा। यदि अर्ध दण्ड भुगतान न किया जाय तो कारावास से दण्डित किया जायेगा। जो तीन माह तक हो सकेगा।

(ह0) अस्पष्ट,

मनीष चौहान,

आयुक्त,

आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़।

उपविधि

31 जुलाई, 2024 ई0

सं0 444/जि0पं0/2024-25-उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम-1961 (यथा संशोधित) की धारा 239 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत मऊ द्वारा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में किसी स्थान अथवा सार्वजनिक सड़क या कच्चे पक्के राजमार्ग, जिसमें ग्रामीण बाजार भी सम्मिलित है, पर स्थित किसी भी दुकान, व्यवसाय, फैक्ट्री, कारखाना, आदि को नियंत्रित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से पूर्व में बनायी गयी उपविधि जो विज्ञप्ति सं0-666/23-33(99-2002) द्वारा उ0प्र0 राजकीय गजट में दिनांक 04 मई, 2002 को प्रकाशित है, में अंकित लाइसेंस शुल्क की दरों में निम्नवत् संशोधन प्रस्तावित है। यह संशोधन आयुक्त, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़ के पुष्टि के उपरान्त उ0प्र0 राजकीय गजट में प्रकाशन होने की तिथि से प्रभावी होगा-

क्र0 सं0	व्यवसाय का नाम	लाइसेंस शुल्क	
		वर्तमान	प्रस्तावित
1	2	3	4
		रु0	रु0
1	कपड़ा की दुकान जिसमें 10,000.00 से कम मूल्य का सामान हो।	75.00	200.00
2	कपड़ा की दुकान जिसमें 10,000.00 से अधिक मूल्य का सामान हो।	150.00	400.00
3	जनरल मर्चेन्ट की दुकान 10,000.00 से कम पूंजी लगी हो।	75.00	200.00
4	गमछा, लुंगी, बनयान, जनरल मर्चेन्ट की बड़ी दुकान	150.00	400.00
5	मिठाई की दुकान जिसमें 10 कि0ग्रा0 से कम सामग्री रहती हो।	50.00	133.00
6	मिठाई की दुकान जिसमें 10 कि0ग्रा0 से अधिक सामग्री रहती हो।	100.00	266.00
7	चाय, बिस्कीट, नमकीन की दुकान, जिसमें बैठने की व्यवस्था हो।	75.00	200.00
8	चाय नमकीन की दुकान जो गुमटी में हो।	50.00	133.00
9	होटल में जिसमें गोश्त, मांस, रोटी, चावल, सब्जी मिलती हो।	100.00	266.00
10	होटल जिसमें केवल शाकाहारी भोजन मिलता हो।	100.00	266.00
11	होटल चाय की दुकान जिसमें दोनों सम्मिलित हो।	150.00	400.00
12	मिठाई, चाय, नमकीन, बिस्कीट की दुकान।	100.00	266.00

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत-मऊ

1	2	3	4
		रु०	रु०
13	बतासा, गट्टा की दुकान	30.00	80.00
14	लस्सी, कोल्ड्रीक की दुकान	75.00	200.00
15	बिसातखाने की दुकान, जिसमें 10,000.00 से कम मूल्य का सामान हो।	75.00	200.00
16	इमारती लकड़ी, फर्नीचर आदि की दुकान।	100.00	266.00
17	जलौनी लकड़ी की दुकान।	50.00	133.00
18	बिसातखाने की दुकान जिसमें 10,000.00 से कम मूल्य का सामान हो।	60.00	160.00
19	किसी भी प्रकार के जूता, चप्पल की दुकान जिसमें अधिक से अधिक जिसमें 1,00,000.00 मूल्य का सामान हो तथा मकान में दुकान हो।	100.00	266.00
20	किसी भी प्रकार की जूता, चप्पल की दुकान जो गुमटी या मडई में हो।	50.00	133.00
21	किसी भी प्रकार की जूता, चप्पल की दुकान जिसमें 10,000.00 से अधिक मूल्य का सामान हो।	150.00	400.00
22	किसी भी किस्म की गल्ले की दुकान जिसमें एक बार में 10 कुन्तल से अधिक का सामान रहता हो, एक बार में न हो।	75.00	200.00
23	किसी भी किस्म की गल्ला, जिसमें एक बार में 10 कुन्तल से अधिक का सामान रहता हो।	150.00	400.00
24	फल की दुकान यदि मकान में हो।	75.00	200.00
25	सब्जी की दुकान	50.00	133.00
26	लोहे की दुकान जिसमें कब्जा, हैण्डल, फर्सा, बालटी, कील तराजू आदि लोहे पीतल के एवं इमारती सामान	150.00	400.00
27	लोहे का सरिया, एंगिल, गोंडर आदि जिसमें कम से कम 20,000.00 रु० से ऊपर का सामान हो।	250.00	665.00
28	पीतल आदि बर्तन की दुकान	150.00	400.00
29	सोने, चाँदी आभूषण की दुकान।	300.00	798.00
30	सोने, चाँदी आभूषण मरम्मत की दुकान।	50.00	133.00
31	किताब एवं कापी तथा स्टेशनरी की गुमटी में।	30.00	80.00
32	किताब, कापी एवं स्टेशनरी की दुकान भवन में।	75.00	200.00
33	अंग्रेजी दवाखाना की दुकान।	75.00	200.00
34	आयुर्वेदी दवाखाना की दुकान।	75.00	200.00
35	होम्योपैथीक की दुकान।	75.00	200.00
36	यदि क्रमांक 33, 34, 35 में किसी दो की दुकान हो।	100.00	266.00
37	पेट्रोल अथवा डीजल के पम्प पर।	500.00	1330.00

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत-बल्ल

1	2	3	4
		रु०	रु०-
38	फुटकर विक्रेता डीजल, पेट्रोल अथवा मिट्टी के तेल की दुकान।	100.00	266.00
39	सइकिल अथवा रिक्शा की दुकान मय पार्टस।	150.00	400.00
40	मोटर पार्टस एवं मोबिल आदि की दुकान।	150.00	400.00
41	सइकिल मरम्मत की दुकान।	30.00	80.00
42	मछली बेचने की दुकान।	100.00	266.00
43	कृषि यंत्र अथवा लोहे की दुकान अथवा ग्रील बनाने की दुकान।	150.00	400.00
44	पान, बीड़ी, सीग्रेट की दुकान।	50.00	133.00
45	जलाने वाले कोयले की दुकान।	75.00	200.00
46	एल्युमिनियम के बर्तन की दुकान।	75.00	200.00
47	सिलाई मशीन, टाइपराईटर आदि की दुकान।	150.00	400.00
48	दर्जी की दुकान जिसमें एक मशीन हो।	30.00	80.00
49	घड़ी मरम्मत की दुकान।	50.00	133.00
50	घड़ी बेचने की दुकान।	75.00	200.00
51	बिजली की दुकान अथवा इंजन आदि की दुकान	200.00	532.00
52	लाउडस्पीकर अथवा टी०वी०, रेडियो, वी०सी०आर०, इलेक्ट्रानिक्स सामानों की दुकान।	200.00	532.00
53	धुलाई की दुकान।	30.00	80.00
54	लांड़ी जिसमें ड्राईक्लीनिंग-भी होता हो।	75.00	200.00
55	किसी भी प्रकार के बीज की दुकान जिसमें दोने हो सकते हो।	75.00	200.00
56	बाल काटने की सैलून जो बड़ी बाजारों में मकान में तथा दो से अधिक बाल काटने हेतु कुर्सी हो।	75.00	200.00
57	बाल काटने की छोटी दुकान मड़ई अथवा गुमटी में	30.00	80.00
58	इंजन, ट्रैक्टर, कार, जीप, मोटर मरम्मत करने की दुकान प्रत्येक पर।	75.00	200.00
59	रासायनिक खाद की दुकान।	75.00	200.00
60	सीमेन्ट की दुकान।	150.00	400.00
61	गिट्टी सीमेन्ट से बने जाली आदि की दुकान।	150.00	400.00
62	क्राकरी, गिलास, सीसी आदि की दुकान।	75.00	200.00
63	खेलकूद में आने वाले सामान की दुकान।	75.00	200.00
64	वार्निश, पेंट, जाली, सेनेट्री आदि के सामानों की दुकान।	180.00	500.00
65	सन्तुतली, नारीयल, प्लास्टिक की रस्सी, आदि की दुकान।	75.00	200.00

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत-मऊ

1	2	3	4
		रु0	रु0
66	रेडिमेड कपड़ों की दुकान।	75.00	200.00
67	गल्ले की आढ़त की दुकान।	300.00	798.00
68	चूड़ी की छोटी दुकान।	35.00	94.00
69	चूड़ी की बड़ी दुकान।	100.00	266.00
70	गैस सलेन्डर की दुकान अथवा गोदाम।	200.00	532.00
71	धर्मकॉटा।	100.00	266.00
72	फोटोग्राफ अथवा फोटो की दुकान।	100.00	266.00
73	कबाड़ी की दुकान।	100.00	266.00
74	अचार, मुरब्बा, बिस्कुट, डबल रोटी की दुकान।	75.00	200.00
75	सुर्ती, तंबाकू की बड़ी दुकान।	75.00	200.00
76	सुर्ती की फुटकर दुकान।	25.00	67.00
77	प्रिंटिंग प्रेस की दुकान।	100.00	266.00
78	खराद मशीन की दुकान।	75.00	200.00
79	ट्रैक्टर, ट्राली बनाने की दुकान।	100.00	266.00
80	दर्जी की दुकान जिसमें दो से अधिक मशीन हो।	100.00	266.00
81	किराये पर चलने वाले लाउडस्पीकर, टी0वी0, वी0सी0आर0, वी0सी0पी।	100.00	266.00
82	पी0सी0ओ0।	100.00	266.00

उक्त के अतिरिक्त सम्मिलित नये व्यवसाय

83	मार्ट/सुपरमार्ट	4000
84	परचून की बड़ी दुकान या होल सेलर	1000
85	मेडिकल प्रैक्टिशनर	300
86	डालडा, घी, तेल की दुकान	200
87	ईंधन जलाने वाले कोयला की दुकान	200
88	इलेक्ट्रानिक्स की बड़ी दुकान सम्मिलित आदि	800
89	मोटर साइकिल, स्कूटर मरम्मत की दुकान	200
90	इंजीनियरिंग वर्क्स	300
91	मॉरग, बालू, चूना बेचने की दुकान	300
92	भवन सामग्री/बिल्डिंग मटेरियल छोटी/बड़ी	2000-3000
93	शराब बिक्री की दुकान (देशी)	2000
94	अग्रेजी अथवा माडल शॉप की दुकान	2500

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत-मऊ

1	2	3	4
		रु0	रु0
95	बार/पब/क्लब	.	5000
96	खोया या दूध विक्रेता	.	250
97	सी0एन0जी0 पम्प	.	1000
98	पेट्रोल पम्प के साथ सी0एन0जी अथवा ई0वी0 स्टेशन में से कोई एक हो	.	2000
99	पेट्रोल पम्प के साथ सी0एन0जी एवं ई0वी0 स्टेशन दोनों हो	.	3000
100	ई0वी0 स्टेशन	.	1000
101	भोजनालय (ढाबा)/रेस्टोरेन्ट (छोटा)	.	500
102	भोजनालय (ढाबा)/रेस्टोरेन्ट (बड़ा)	.	2000
103	ऑनलाईन सर्विस प्रोवाइडर (टिकट बुकिंग होटल बुकिंग इत्यादि)	.	500
104	पशुचारा, चूनी, भूसी/भूसा	.	300
105	भाग की दुकान	.	500
106	फोटोकापी/फोटो स्टेट का दुकान कम्प्यूटर टाइपिंग/लेमिनेशन	.	300
107	बिजली डेकोरेशन की दुकान	.	300
108	हथियार आग्नेय शस्त्र की दुकान	.	1000
109	कैटरिंग	.	500
110	ब्यूटी पार्लर	.	200
111	वेयरहाउस (प्रथम 03 शेड तक)	.	6000
112	वेयरहाउस (प्रथम 03 शेड के अतिरिक्त प्रति शेड)	.	2000
113	ट्रांसपोर्ट/ट्रैवल एजेंसी (02 वाहन तक)	.	1000
114	ट्रांसपोर्ट/ट्रैवल एजेंसी (02 वाहन से ऊपर प्रति वाहन)	.	500
115	प्रॉपर्टी डीलर/एजेंट/एसोसिएट	.	2000
116	वास्तुविद	.	3000
117	स्ट्रक्चरल इंजीनियर	.	3000
118	प्रोजेक्ट डेवलपर/रियल स्टेट कंपनी	.	3000
119	कंस्ट्रक्शन कंपनी	.	2000
120	प्राइवेट शिक्षण संस्थान इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग/एम0बी0ए0/प्रोफेशनल कॉलेज	.	6000
121	प्राइवेट शिक्षण संस्थान 250 छात्रों तक	.	2000
122	प्राइवेट शिक्षण संस्थान 250 से अधिक	.	4000
123	वोचिंग संस्थान	.	1000

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत-मऊ

1	2	3	4
		रु०	रु०
124	साइकिल/मोटरसाइकिल स्टैण्ड	.	250
125	ऑप्टिकल्स की दुकान	.	250
126	हॉस्टल/छात्रावास	.	2000
127	हेल्थ सेन्टर/जिम क्लब	.	1000
128	नर्सिंग होम (20 बेड से ऊपर)	.	5000
129	प्राइवेट क्लीनिक	.	1000
130	नर्सिंग होम (1 से 20 बेड तक)	.	3000
131	वाटर पार्क	.	2000
132	मैरिज हाल तथा गेस्ट हाउस	.	2000

उपर्युक्त के अतिरिक्त की दुकानें छूट रहीं हैं उन पर निम्न प्रकार लाइसेंस देय होगा।

1	अन्य छोटे व्यवसाय पर	500.00
2	अन्य बड़े व्यवसाय पर	2000.00

मिल/कारखाना/फैक्ट्री आदि

1	आटा चक्की	100.00	266.00
2	धान कूटने चुरा मशीन	100.00	266.00
3	तेल निकालने का कोल्हू या मशीन जो बिजली अथवा भाप से सम्बन्धित हो।	100.00	266.00
4	रूई धुनने की मशीन।	50.00	133.00
5	पत्थर याईट की रोडी तोड़ने वाली पीसने के कारखाने।	500.00	1330.00
6	प्लास्टिक से बनने वाले सामान की फैक्ट्री।	500.00	1330.00
7	रिडन पाटर्ड कंक्रीट के ह्यूम पाइप बनाने के कारखाने।	3000.00	7980.00
8	खराद मशीन	100.00	266.00
9	जूता व चमड़ा अथवा रेकसीन से बनाने वाली फैक्ट्री।	500.00	1330.00
10	गैस वेल्डिंग।	100.00	266.00
11	छवि गृह सिनेमा।	2000.00	5320.00
12	राईस मिल (मिनी प्लांट) दाल मिल छोटी साइज।	500.00	1330.00

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत-बज्र

मॉडल बाइलाज में सम्मिलित अन्य मिल/कारखाना/फैक्ट्री आदि

क्र० सं०	मद/व्यवसाय का नाम/कारखाने का नाम	लाइसेंस शुल्क	
		वर्तमान	प्रस्तावित
1	2	3	4
		रु०	रु०
1	चीनी मिल	.	66125.00
2	क्रेशर हाईड्रोलिक सल्फीटेशन	.	5290.00
3	क्रेशर नॉन हाईड्रोलिक सल्फीटेशन	.	5290.00
4	क्रेशर नॉन हाईड्रोलिकनॉन सल्फीटेशन	.	3307.00
5	शक्ति चालित गन्ना पेरने का कोल्हू	.	529.00
6	शक्ति चालित केन्द्रापग (खाण्ड मशीन)	.	1323.00
7	हस्तचालित केन्द्रापग (खाण्ड मशीन)	.	265.00
8	उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग कर रहा क्रिस्टीलाइजर	.	397.00
9	धान कूटने का मिल (राइस सेलर)	.	3307.00
10	एक्सपेलर	.	662.00
11	खराद मशीन	.	1323.00
12	लकड़ी चीरने आरा मशीन	.	2645.00
13	पावरलूम (प्रत्येक)	.	1323.00
14	रेशम व कपड़ा बनाने का कारखाना	.	5290.00
15	लोहा बनाने का कारखाना (प्रति भट्ठी)	.	6613.00
16	गत्ता बनाने का कारखाना (बड़ा)	.	9258.00
17	सरिया व अन्य लोहे व इस्पात के सामान बनाने की फैक्ट्री	.	19838.00
18	पेपर कोन बनाने का कारखाना	.	5290.00
19	पेपर रोल बनाने का कारखाना	.	10580.00
20	बर्फ बनाने की फैक्ट्री (200 सिल्ली तक)	.	2645.00
21	बर्फ बनाने की फैक्ट्री (200 सिल्ली से अधिक)	.	5290.00
22	कागज बनाने का कारखाना (10 टन क्षमता)	.	13225.00
23	कागज बनाने का कारखाना (10 टन से अधिक 20 टन क्षमता तक)	.	19838.00
24	कागज बनाने का कारखाना (20 टन से अधिक 30 टन क्षमता तक)	.	39675.00
25	कागज बनाने का कारखाना (30 टन क्षमता से अधिक)	.	66125.00
26	दूध का पाउडर या दूध से अन्य पदार्थ बनाने का कारखाना	.	13225.00
27	चिलिंग प्लांट	.	10580.00

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत-बऊ

1	2	3	4
		रु0	रु0
28	स्टील, आयरन आदि से पाइप बनाने का कारखाना (2" मोटाई तक)	.	33063.00
29	स्टील, आयरन आदि से पाइप बनाने का कारखाना (2" मोटाई से अधिक)	.	66125.00
30	मशीन या यंत्र बनाने का कारखाना	.	9258.00
31	कोल्ड स्टोरेज (50 हजार बैग तक)	.	13225.00
32	कोल्ड स्टोरेज (50 हजार बैग से अधिक)	.	19838.00
33	पिक्चर ट्यूब बनाने का कारखाना	.	6613.00
34	हॉटमिक्स प्लाण्ट	.	13225.00
35	रबड़ की वस्तुयें बनाने का कारखाना	.	2645.00
36	चीनी मिट्टी के बर्तन या टाईल्स बनाने का छोटा कारखाना	.	2645.00
37	चीनी मिट्टी के बर्तन या टाईल्स बनाने का बड़ा कारखाना	.	9258.00
38	मसाले की ईंट आदि बनाने का कारखाना (सिरेमिक्स)	.	10580.00
39	पीतल, एल्यूमिनियम, स्टील, शीशा, तांबा व टीन आदि से वस्तुएं बनाना	.	5290.00
40	वनस्पति/देशी घी या रिफाइनड आयल बनाने का कारखाना	.	19838.00
41	शराब, स्प्रिट या एल्कोहल बनाने का कारखाना	.	66125.00
42	कृषि सम्बन्धी यंत्र बनाने का कारखाना	.	5290.00
43	फर्टीलाइजर या कीटनाशक दवाई बनाने का कारखाना	.	13225.00
44	खाण्डसरी उद्योग के यंत्र बनाने का कारखाना	.	6613.00
45	प्लास्टिक का दाना, फिल्म या बैग बनाने का कारखाना	.	5290.00
46	प्लास्टिक के पाइप, टैंक बनाने का कारखाना	.	9258.00
47	बिजली के सामान बनाने का कारखाना	.	5290.00
48	कपड़ा, कम्बल आदि की रंगाई/छपाई या फिनिशिंग का कारखाना (छोटा)	.	2645.00
49	कपड़ा, कम्बल आदि की रंगाई/छपाई या फिनिशिंग का कारखाना (बड़ा)	.	10580.00
50	सीमेन्ट बनाने का कारखाना	.	13225.00
51	पलोर मिल	.	13225.00
52	दाल मिल	.	6613.00
53	रिईनफोर्सड, सीमेन्ट क्रंकीट आदि के ह्यूम पाइप बनाने का कारखाना	.	13225.00
54	टेलीविजन बनाने का कारखाना	.	13225.00
55	माचिस बनाने का कारखाना	.	13225.00
56	बटन बनाने का कारखाना	.	7935.00
57	मोमबत्ती बनाने का कारखाना	.	3968.00

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत-मऊ

1	2	3	4
		रु0	रु0
58	विनियर एण्ड शॉ मिल	.	9258.00
59	पेय पदार्थ बनाने का कारखाना/फैक्ट्री	.	66125.00
60	मिनरल वाटर बनाने का कारखाना	.	19838.00
61	साकिट बनाने का कारखाना	.	6613.00
62	प्लाईवुड या माइका बनाने का कारखाना	.	13225.00
63	दवाई बनाने का कारखाना	.	9258.00
64	गत्ते के डिब्बे बनाने का कारखाना	.	3968.00
65	लैमिनेशन का कारखाना	.	6613.00
66	दूध पैकेजिंग का कारखाना	.	7935.00
67	केमिकल बनाने का कारखाना	.	3968.00
68	डबलरोटी या बिस्कुट बनाने का कारखाना	.	6613.00
69	गैस आदि बनाने का कारखाना	.	6613.00
70	गैस के सिलेण्डर बनाने का कारखाना	.	10580.00
71	वेल्डिंग राइस बनाने का कारखाना	.	7935.00
72	पीतल की राइस बनाने का कारखाना	.	7935.00
73	ढलाई करने का कारखाना	.	7935.00
74	स्टील अलमारी, बक्से, मेज आदि बनाने का कारखाना	.	7935.00
75	पशु आहार बनाने का कारखाना	.	6613.00
76	धागा बनाने का कारखाना	.	5290.00
77	धागा डबलिंग का कारखाना	.	9258.00
78	दरी, कालीन आदि बनाने का कारखाना	.	9258.00
79	साबुन बनाने का कारखाना	.	2645.00
80	डिटर्जेंट बनाने का कारखाना	.	9258.00
81	पट्टा बनाने का कारखाना	.	3968.00
82	कमानी पट्टा बनाने का कारखाना	.	9258.00
83	खड़ के टायर ट्यूब बनाने का कारखाना	.	19838.00
84	टायर रिट्रेडिंग	.	5290.00

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत-मऊ

1	2	3	4
		रु०	रु०
85	तिरपाल बनाने का कारखाना	.	13225.00
86	आतिशबाजी सम्बन्धी बनाने का कारखाना	.	13225.00
87	ग्रीस, मोबिल आयल, काला तेल आदि बनाने का कारखाना	.	6613.00
88	चारपहिया बनाने का कारखाना	.	132250.00
89	दोपहिया बनाने का कारखाना	.	66125.00
90	तार बनाने का कारखाना	.	19838.00
91	तार की जाली बनाने का कारखाना	.	4629.00
92	लालटेन बनाने का कारखाना	.	3968.00
93	रेगमाल बनाने का कारखाना	.	5290.00
94	बैट्री बनाने का कारखाना	.	6613.00
95	पंखा या कूलर बनाने का कारखाना	.	6613.00
96	रंग बनाने का कारखाना	.	6613.00
97	गम, टेप बनाने का कारखाना	.	5290.00
98	आटो मोटर्स बनाने का कारखाना	.	6613.00
99	निकिल पालिस (प्लेटिंग) करने का कारखाना	.	6613.00
100	रांगा बनाने का कारखाना	.	6613.00
101	गैस चूल्हा या उसके पार्ट्स बनाने का कारखाना	.	6613.00
102	हड्डी मिल	.	33063.00
103	सरेश मिल	.	6613.00
104	पेट्रोल मिल	.	5290.00
105	डीजल मिल	.	6613.00
106	गैस बाटलिंग प्लाण्ट	.	33063.00
107	सादा या काला नमक बनाने का कारखाना	.	2645.00
108	प्रिंटिंग प्रेस या आफसेट प्रेस	.	3307.00
109	सिनेमा हाल	.	5290.00
110	विडियो सिनेमा हाल	.	3307.00
111	मुर्गा/मुर्गीदाना का कारखाना/फैक्ट्री	.	3968.00

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत-मऊ

1	2	3	4
		रु0	रु0
112	पेट्रोल पम्प का टैंक बनाने का कारखाना	.	13225.00
113	रेडीमेड गारमेन्ट्स का कारखाना	.	19838.00
114	फोम के गद्दे बनाने का कारखाना	.	19838.00
115	स्लाटर हाउस/इंटीग्रेटेड फूड प्रोसेसिंग प्लांट	.	132250.00
116	ट्रांसफार्मर फैक्ट्री	.	26450.00
117	स्टील के बर्तन बनाने का कारखाना	.	19838.00
118	एयर कंडीशनर बनाने का कारखाना	.	13225.00
119	जूट, रान व नायलान बनाने का कारखाना	.	6613.00
120	शीशा बनाने का कारखाना	.	3968.00
121	पिपरमिण्ट बनाने का कारखाना	.	2645.00
122	चमड़ा टेनरी का कारखाना	.	33063.00
123	जैविक कारखाना	.	6613.00
124	स्टोन क्रेशर	.	19838.00

उपरोक्त के अतिरिक्त उद्योगों को निम्न श्रेणी में विभक्त करते हुए अधिकतम लाइसेंस फीस सम्मुख अंकित धनराशि के अन्तर्गत निर्धारित की जा सकती है

क्र0 सं0	मद/व्यवसाय का नाम/कारखाने का नाम	लाइसेंस शुल्क (रूपये में)
		वर्तमान प्रस्तावित
1	सूक्ष्म/कुटीर उद्योग (Micro) (लागत 25 लाख तक)	1323.00 से 6613.00 तक
2	लघु उद्योग (Small) (लागत 25 लाख से 5 करोड़ तक)	7935.00 से 26450.00 तक
3	मध्यम उद्योग (Medium) (लागत 5 करोड़ से 10 करोड़ तक)	27773.00 से 66125.00 तक
4	भारी उद्योग (Heavy) (लागत 10 करोड़ से अधिक)	67448.00 से 132250.00 तक

इस उपविधि के अन्तर्गत आने वाले व्यवसायी अपने व्यवसाय के लिये उपरोक्त प्रस्तावित लाइसेन्स शुल्क प्रत्येक वर्ष के 30 जून तक अवश्य बनवा लेना होगा ऐसे न करने पर विलम्ब की अवधि के प्रत्येक माह के लिये निर्धारित लाइसेन्स शुल्क में 10 प्रतिशत दण्ड के रूप में देय होगा। विलम्ब की अवधि सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के 01 जुलाई से प्रारम्भ होगी।

(द) दण्ड

उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम-1961 की धारा 240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, मऊ यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधि का उल्लंघन करेगा वह अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा, जो रु0 1,000.00 तक होगा और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थदण्ड से दण्डित होगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि उसमें अपराधी अपराध करता रहा है मु0 50.00 रुपये प्रतिदिन तक अर्थदण्ड हो सकेगा। यदि अर्थ दण्ड भुगतान न किया जाय तो कारावास से दण्डित किया जायेगा, जो तीन माह तक हो सकेगा।

(ह0) अस्पष्ट,
मनीष चौहान,
आयुक्त,

आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत-मऊ